संo– 406/XXVIII–5–2011–11(घो0)/2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5

देहरादूनः दिनांकः 05 मार्च फरवरी, 2011

विषय– मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5प/1/25/2010/2010–11/4697 दिनांक 18–02–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सुदूरवर्ती असेवित क्षेत्रों में चिकित्सा की मूलभूत सुविधाओं को अन्तिम छोर के अन्तिम व्यक्ति तक उपलब्ध कराने की अवधारणा के अन्तर्गत असेवित चिन्हित ग्रामों में चयनित सुदूरवर्ती स्वास्थ्य सहायको को Schedule K की औषधियों का किट उपलब्ध कराने के लिये मानक मद 39–औषधि तथा रसायन में ₹6.00 लाख (₹ छः लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
2. योजना का क्रियान्वयन शासन के पत्र संo–799/28–5–2010–11(घो0)/2009 दिनांक 15–06–2010 के द्वारा प्रतिपादित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों परन्तु मानदेय सम्बन्धी सिद्धान्त को छोड़कर शेष सिद्धान्तों के अनुसार किया जोयगा। मेडिसिन किट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आगनवाड़ी कार्यकर्तियों से आवश्यक सामन्वय स्थापित किया जायेगा एवं तदनुसार यथावश्यकता ही औषधि क्रय मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि नियमानुसार आहरित/व्यय की जायेगी।
3. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्या - 515/XXVII(1)/2008 दि0 28.07.09 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0–187/XXVII(1)/2009 दिनांक 30 मार्च 2010 में निहित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक के अनुदान सं0–12 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 101–स्वास्थ्य उपकेन्द्र 05–मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत प्रथम प्रस्तर में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–1035(P)/XXVII(3)/ 2010–11 दिनांक 01.03.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

सं0-६/८८(1)/XXVIII–5–2011–11(घो0)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव